न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :–हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्याः–27/23 दायर दिनांकः–03.02.2023

जीसीएमएस नं. 2023/70

दिनेश चंद शर्मा उम्र 56 साल पुत्र हजारी लाल शर्मा जाति गौड ब्राहम्ण निवासी पाताली हनुमान के पास पांचना करौली

——————सायल

बनाम

1. बहादुर पुत्र मांग्या उम्र 54 साल
2. महेश पुत्र बहादुर उम्र 34 साल
3. अनुप पुत्र बहादुर उम्र 20 साल
4. राजकुमार पुत्र बहादुर उम्र 28 साल

} जाति जाटव निवासी पटोंदा तह. श्रीमहावीरजी जिला करौली

——————गैरसायलान–04

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित–1. श्री नरेन्द्र सिंह जादौन अधिवक्ता सायल

2. एकपक्षीय कार्यवाही गैरसायलान

निर्णय

दिनांकः–22.11.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने जरिए वकील खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि जमाबंदी खाता संख्या 184 में दर्ज भूमि खसरा न0 1007 रकबा 0.40 है., 1011 रकबा .36 है0 कुल किता 2 कुल रकबा .76 है0 स्थित ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी सायल के हिस्सा 1/2 की आराजी है, सायल एवं उक्त खसरों के अन्य सहखातेदारान द्वारा उक्त आराजी का मौके पर बाहमी बंटवारा कर सायल के हिस्से में आराजी खसरा न0 1009 रकबा .40 है0 का खेत कब्जे में दिया गया है, जिस पर सायल तन्हा काबिज व दखिल है।

आराजी मुतजिक्रा मद न0 1 व 2 में दर्ज भूमि खसरा न0 1007, 1366, 1009 पर सायल द्वारा वहैसियत खातेदार [illegible] होकर साल दर साल फसल काश्त कर उपयोग उपभोग किया जा रहा है [illegible] खातेदारी आराजी में फसल सरसों काश्त की हैं जो मौके पर [illegible] में पक कर खडी है, [illegible]लान या अन्य किसी व्यक्ति का सायल का प्रथम दृष्टया केश [illegible]बी प्रमाणित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:12 IST
Reason: SelfAttested

बाका दिनांक 01.02.2023 को सुबह करीब 10 बजे का है कि सायल जब अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की उक्त आराजी मुतजिक्रा मद न0 1 व 2 पर अपनी फसल की

देखभाल करने गया था, तो गैरसायालान बिना किसी हक व अधिकार के सायल के कब्जे, हक, अधिकार की उक्त आराजी पर आ धमके और सायल से कहने लगे कि आपकी खातेदारी में दर्ज कब्जे में चली आ रही आराजी पर से हम तुम्हे अब फसल काटने नहीं देंगे, हम इस पर कब्जा कर, तुम्हे बेदखल करेगें, सायल ने गैरसायलान को काफी समझाया और बताया कि आप मुझे फसल काश्त करने में, पककर खडी हुई फसल को काटकर घर ले जाने में अनावश्यक कोई विवाद पैदा नहीं करे, तुम्हारा मेरी भूमि से कोई संबंध नहीं है।

प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार कर गैरसायलान को दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान सायल की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी, एवं बाहमी बंटवारे में सहखातेदारों से हिस्से में प्राप्त आराजी खसरा न0 1009 रकबा 0.40 है0, 1007 रकबा 0.43 है0, 1366 रकबा 0.08 है0 स्थित ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी में सायल द्वारा बोई गई फसल सरसों आदि को हमेशा की तरह काटकर घर ले जाने में और भविष्य में साल दर सायल फसल काश्त कर उपयोग उपभोग करने में कोई अवरोध या व्यवधान स्वयं या अपने प्रतिनिधि के जरिये पैदा नहीं करे, सायल को उक्त आराजी से विधि विरूद्ध रूप से बेदखल कर, कब्जा कर, किसी व्यक्ति या संस्था को रहनव्यय व्यवकर अन्तरित नहीं करे, गैरसायालान ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे उक्त आराजी के संबंध में सायल को प्राप्त विधिक अधिकारों के उपयोग उपभोग में कोई अवरोध या व्यवधान पैदा हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर गैरसायलान 1 ता 4 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 24.09.2024 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 184, जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 279 वाके ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी पेश किये है।

सायलान वकील उपस्थित। सायलान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में सायलान वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 207[illegible] खाता संख्या 184, जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 279 वा[illegible] श्रीमहावीरजी जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम [illegible] कि उक्त आराजीयात के सायल ही खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। सायलान की [illegible] ने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:12 IST
Reason: SelfAttested

अतः सायलान ने जरिए वकील खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 03.02.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 1009, 1007, 1366 वाके ग्राम पंटोदा तहसील श्रीमहावीरजी में रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 22.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 22.11.24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:12 IST
Reason: SelfAttested